

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25012023-243217
SG-DL-E-25012023-243217असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]	दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2023/माघ 4, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 462
No. 33]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2023/MAGHA 4, 1944	[N. C. T. D. No. 462

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 जनवरी, 2023

सं. फा. 14(83)/एलए-2023/dsadvise/16-24.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 24 जनवरी, 2023 को प्राप्त कर ली है और इसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 2023

(2023 का दिल्ली अधिनियम 01)

[19 जनवरी, 2023 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा-पारित]

[24 जनवरी, 2023]

वर्ष 2022-2023 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक

रु. 3139,17,69,000/- का वर्ष 2022-2023 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

विनियोजन

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2023
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए तीन हजार एक सौ उनतालीस करोड़ सत्रह लाख उनहत्तर हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2022-2023 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।
3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजार में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
I	II		III	IV	V
1	विधान मंडल	राजस्व	100	1900	2000
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	700	24250	24950
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	3312122	510778	3822900
		पूँजी	70000	0	70000
4	वित्त	राजस्व	400	0	400
5	गृह	राजस्व	465073	0	465073
		पूँजी	100	0	100
6	शिक्षा	राजस्व	2208179	0	2208179
		पूँजी	200	0	200
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	950702	40525	991227
		पूँजी	200	0	200
8	समाज कल्याण	राजस्व	4940	100	5040
		पूँजी	12114700	0	12114700
9	उद्योग	राजस्व	365200	0	365200
		पूँजी	481100	0	481100
10	विकास	राजस्व	7061477	173	7061650
		पूँजी	400	0	400
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	3776350	0	3776350
		पूँजी	2100	0	2100
	योग		30814043	577726	31391769

भरत पाराशर, प्रधान सचिव
विधि, न्याय एवं विधार्थी कार्य

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 24th January, 2023

F. No. 14 (83)/LA/2023/dsadvise/16-24.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 24th January, 2023 and is hereby published for general information.

“THE DELHI APPROPRIATION (No. 1) ACT, 2023”**(DELHI ACT No. 01 OF 2023)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 19th January, 2023).

[24th January, 2023]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2022-2023.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2023.

Issue of ₹ 3139,17,69,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2022-2023.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of **Rupees three thousand one hundred thirty nine crore seventeen lakh sixty nine thousand only** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2022-2023 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(₹ In thousand)

SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
I	II		III	IV	V
1	Legislative Assembly	Revenue	100	1900	2000
2	General Administration	Revenue	700	24250	24950
3	Administration of Justice	Revenue	3312122	510778	3822900
		Capital	70000	0	70000
4	Finance	Revenue	400	0	400
5	Home	Revenue	465073	0	465073
		Capital	100	0	100

6	Education	Revenue	2208179	0	2208179
		Capital	200	0	200
7	Medical and Public Health	Revenue	950702	40525	991227
		Capital	200	0	200
8	Social Welfare	Revenue	4940	100	5040
		Capital	12114700	0	12114700
9	Industries	Revenue	365200	0	365200
		Capital	481100	0	481100
10	Development	Revenue	7061477	173	7061650
		Capital	400	0	400
11	Urban Development and Public Works	Revenue	3776350	0	3776350
		Capital	2100	0	2100
	Total		30814043	577726	31391769

BHARAT PARASHAR, Principal Secy.

(Law, Justice and Legislative Affairs)